

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta, J.M.F.C., Gohad, DIST. Bhind (M.P)

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JIM.F.C., Gonad, DISI-: Brilla (M.F.)
Case No
Name and address of the Complainant. The Complainant of the Complainan
211 0 go 51/23
Name , parentage, caste and address of accused
कार्य द्वाराठ स्मीतम कोम्ह यह वर्ष R10 वर्षा र राष्ट्र
201881
1 [22회 : 18]
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
and the $3a + 8a = 10$
जापन विनाय दे हैं का समय लगमग र कार कि वर्ण, थाना अतगत
आपने दिनांक २३ <u>८</u> को समय लगभग ८०० बजे, थाना <u>२००६५</u> अंतर्गत स्थान <u>पर सट्टा पर्चियों पर अंक, संख्या,</u> संकेत,चिन्ह या चित्रों के प्रदर्शन से रूपये पैसे का दाव लगाकर जुआं खेलाया। ऐसा करके तुमने वह
अपराध कारित किया जो सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध है
और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
AN CONTROL
Judicial magistrate wist class.
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है।
a Contact
STEED ATE SUPERO
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist.Bhind (M.P)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## / / निर्णय / / (आज दिनांक ....31.....8.1...ने को घोषित)

आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तह्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02 पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी / गण अन्हाली ८१० ती वहा तीमा ए ए वार्ष

P12 01/2 08 17 31/83 को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड ......) 🏎 📜 रूपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिकृम की दशा में अभियुक्त/गण को 💍 📜 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि ८.८०/ अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति हार्रा भूभित को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अपील की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

A R GUDE Judicial magistrate first classification (M.P.)